न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/31/2024	2024/157	25.09.2024	28.03.2025

1.सुखविन्दर कौर पुत्री स्व0 श्री सरवण सिंह पौत्री हरनाम सिंह पत्नी श्री मोहन सिंह जाति मजहवी सिक्ख निवासी ग्राम जाहरखेड़ा तहसील व जिला अलवर हाल निवासी सरदार कॉलोनी, एरोड्रम रोड, अलवर जिला अलवर (राज०)।

——अपीलान्ट

बनाम

1.चररू पुत्र हबीब जाति मेव निवासी जाहरखेडा सब तहसील बहादरपुर तहसील अलवर जिला अलवर, राजस्थान।
2.आस मौहम्मद पुत्र नब्बू जाति मेव निवासी जहारखेडा तहसील अलवर जिला अलवर राज0।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील राजस्व विरूद्ध आदेश दिनांक 15.07.2024 अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी. एक्ट न्यायालय तहसीलदार अलवर, जिला अलवर द्वारा बेजा व गलत तौर पर प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज फरमा दिया गया जिसके विरूद्ध निरस्त किये जाने आदेश व स्वीकार किये जाने अपील अपीलांट।

उपस्थितः—
01. श्री रामबाबू कौशिक —वकील अपीलाण्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 15.07.2024 अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी. एक्ट के विरूद्ध पेश की है। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि निर्णय अधिनस्थ न्यायालय कार्यपालक मजिस्ट्रेट तहसील अलवर दिनांक 15.07.2024 विधि व न्याय के प्रतिवादित सिद्धान्तों के एक दम विपरित है जिससे निर्णय अधिनस्थ न्यायालय अपास्त किये जाने योग्य है। अपील कार्यपालक मजिस्ट्रेट तहसील अलवर के निर्णय दिनांक 15.07.2024 के विरूद्ध है। जिससे अपील हाजा न्यायालय श्रीमान् के श्रवण योग्य है। उक्त निर्णय दिनांक 15.07.2024 की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 23.08.2024 को हुई जिस पर तुरन्त ही प्रार्थना पत्र नकल के लिए प्रस्तुत किया गया जिसकी नकल दिनांक 29.08.2024 को प्राप्त हुई है। जिससे यह अपील तारीख जानकारी व मिलने नकल से अन्दर अवधि प्रस्तुत है। जिस बाबत प्रार्थना पत्र जेर दफा 5 अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस अमर का पेश किया कि प्रार्थनी के विरूद्ध श्रवण सिंह को पाकिस्तान से भारत में आने पर आराजी आवंटित की गई थी जो आराजीयात कस्टोडियन की है तथा प्रार्थनी के पिता उक्त आराजी के गैर खातेदार काश्तकार थे। जिनका इन्द्राज हाल की जमाबन्दी में दर्ज है। प्रार्थनी के पिता जाति से मजहवी सिख है व अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं और

अति. जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

प्रार्थनी भी अनुसूचित जाति की महिला है। प्रार्थनी के पिता का स्वर्गवास हो चुका है तथा उक्त आराजी पर बतौर वारिस काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है उक्त आराजी पर बसावट करके मकानात इत्यादि बनाकर रहती चली आ रही है। प्रार्थनी के पिता को हाल खसरा नम्बर 217, 210, 211, 303, 473/1455, 893, कुल किता 5 रकबा 0.29 हैक्टेयर वाके ग्राम जाहरखेडा तहसील अलवर में स्थित है। जिसमें चार पेड पीपल के व बरगद, नीम आदि के पेड़ खडे हुए हैं। आराजी खसरा नम्बर–211 में मकान बना हुआ है जिस मकान का नम्बर–134 है। रैस्पौडेन्ट जाति से मेव है जो काफी लडका व पैसे वाले लोग हैं जो गरीब व कमजोर वर्ग के लोगो की जमीन पर कब्जा करते रहते हैं। अपीलान्ट एक अनुसूचित जाति की निर्धन महिला है। रैस्पौ० स्वर्ण जाति के सदस्य हैं। रैस्पौ० द्वारा जबरन व मुठमर्दी से कानून को हाथ में लेकर उक्त सम्पत्ति पर दिनांक 30.09.2023 को अन्य आदमियों की सहायता से कब्जा कर लिया उक्त आराजी से अपीलान्ट को 50,000/– रूपये महावार की आय होती थी जिससे अपीलान्ट वंचित हो गई है। उक्त आराजी के अलावा अन्य कोई साधन आय का नहीं है। उसके बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी गलती की है जिससे निर्णय अधिनस्थ न्यायालय अपास्त किये जाने योग्य है।

पेशकर्ता रिकॉर्ड, राशन कार्ड, जमाबन्दी व राजस्थान सरकार कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर के द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है उसके आधार पर भी श्रीमती सुखविन्दर कौर पुत्र/पुत्री श्री सरवण सिंह सरदार कॉलौनी एरोड्रम रोड, वार्ड नम्बर–46 को राज/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में 43 मजहबी जाति समुदाय की माना है और इस बाबत जाति प्रमाण पत्र सुखविन्दर कौर के हक में जारी किया गया है जिससे ये स्पष्ट है कि अपीलान्टा व उसके पति व उसके पिता सरवण सिंह जाति से मजहबी सिक्ख हैं जो अनुसूचित जाति/जन जाति की श्रेणी में आते हैं। मगर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजों को कतई गौर नहीं किया गया जिससे भी निर्णय अधिनस्थ न्यायालय अपास्त किये जाने योग्य है। दैनिक समाचार पत्र विचार टाइम्स 12 अगस्त सोमवार सन् 1996 से यह साबित था कि रैस्पौडेन्टान द्वारा बन्धक बनाकर कागज छीने व भूमि हडपी। जिस बाबत थाना सदर में भी मुकदमा दर्ज कराया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह कतई गलते दर्ज किया है कि प्रार्थनी की जाति सिक्ख दर्ज रिकार्ड है जो सामान्य वर्ग में शामिल है धारा 183 बी के अन्तर्गत अनुसूचित जन जाति की श्रेणी में नहीं आती। जबकि पेश कर्दा दस्तावेजात से प्रार्थनी की जाति मजहबी सिक्ख साबित थी व है। जिससे भी निर्णय अधिनस्थ न्यायालय अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः श्रीमान् की सेवा में अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय कार्यपालक मजिस्ट्रेट तहसीलदार अलवर दिनांक 15.07.2024 अपास्त फरमाया जावे व अपीलान्ट को उपरोक्त भूमि पर कब्जा दिलाया जावे।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अध्ययन व अवलोकन किया। वकील अपीलाण्ट की बहस पर चिन्तन–मनन किया। पत्रावली में संलग्न उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट अनुसूचित जाति वर्ग से संबंध रखते हैं। अपीलाण्ट के दादा श्री हरनाम के नाम से जिला पुनर्वास आयुक्त द्वारा जारी पुनर्वास प्रमाण पत्र में अपीलाण्ट के दादा की जाति हरिजन अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय के

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

निर्णय का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा निर्णय करते समय पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का गंभीरता से अवलोकन नहीं किया गया तथा अपीलाण्ट की जाति की सही जांच किए बिना निर्णय पारित किया है, जबकि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 183बी में दर्ज प्रकरण में पीठासीन अधिकारी को बहुत संवेदनशील होकर कार्य करने की आवश्यकता होती है। उक्त प्रकरण में तहसीलदार द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अपील स्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.07.2024 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार अलवर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण–पत्र व पुनर्वास प्रमाण पत्र अनुसार अपीलाण्ट को अनुसूचित जाति वर्ग से मानते हुए पुनः विस्तृत एवं विधिसम्मत निर्णय पारित कर अग्रिम कार्यवाही करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)